

न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 60/29

निर्णय दिनांक 22/8/77

सरकार जरिये

बनाम

श्री. डाली बरि प्लो 345/77

पटवार हल्का

उपनाम

डाक नं० गुवाल्

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम ⁸³⁵ पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ⁷⁷⁷ ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री ^{उपनाम} ने तहसील बेगूँ के ग्राम ^{उपनाम} में स्थित आराजी नम्बर ⁸³⁵ रकबा ^{0.32} किरम ^{0.5 किलो} पर दोराने सम्वत् 2081 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को ^{उपनाम} अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम ^{उपनाम} में स्थित खसरा नम्बर ⁸³⁵ रकबा ^{0.32} किरम ^{0.5 किलो} भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान ²⁻⁰⁰ रु. का 50 गुणा राशि ^{100-/-} रुपये आरोपित किये जाते हैं। जो वसूल हो।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



94
तहसीलदार
बेगूँ, तहसीलदार
चित्तौड़गढ़
बेगूँ